पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना

Scanned with OKEN Scanner